

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प गिरधारीलालपुरा

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र पटवारी हल्का काँडेडा
व भूअ.नि. वृत्त काँडेडा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार चाकसू / नायब
तहसीलदार चाकसू की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम काँडेडा तहसील चाकसू व जिला जयपुर
की जमाबंदी सम्वत् 2073-76 में खाता संख्या 49
में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व
रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	काँडेडा	49	गणेशपुत्र भकालाल	गणेश उर्फ गणेशशंकर पिता भकालाल (गणेश उर्फ गणेशशंकर पिता पिता भकालाल)

क्रमांक:- राजस/2011/3812
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार, तहसील चाकसू को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री गणेश उर्फ गणेशशंकर पि. को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू जयपुर
चाकसू (जयपुर)

दि 17.12.2011

लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू जयपुर
चाकसू (जयपुर)